



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (क)  
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 17 अगस्त, 2020

श्रावण 26, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
आबकारी अनुभाग-2

संख्या 1734ई-2/तेरह-2020-106-2014टी०सी०  
लखनऊ, 17 अगस्त, 2020

अधिसूचना

सा०पनि०-54

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 ( संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 30 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों के प्रयोजनार्थ अविकृत स्प्रिट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थों को कब्जा में रखने हेतु लाइसेन्स नियमावली, 2019 के नियम 3(2) के अधीन अविकृत स्प्रिट, भांग तथा स्वजनित अल्कोहल युक्त औषधि हेतु लाइसेंस शुल्क की निम्नलिखित दर अधिरोपित करती हैं।

अनुसूची

लाइसेंस शुल्क की दर

|  |   |
|--|---|
| 1-अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए         | रुपये 3 प्रति अल्कोहलिक लीटर (ए एल)           |
| 2-भारतीय भांग युक्त औषधियों के लिए     | रुपये 10 प्रति कि०ग्रा० भारतीय भांग           |
| 3-स्वजनित अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए | रुपये 5 प्रति लीटर स्वजनित अल्कोहल युक्त औषधि |

आज्ञा से,  
संजय आर० भूसरेड्डी,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1734 E-2/XIII-2020-106-2014T.C., dated August 17, 2020:

No. 1734 E-2/XIII-2020-106-2014T.C.

*Dated Lucknow, August 17, 2020*

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 30 of the U.P. Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) *read* with clause (d) of sub-section (2) of the said section, the Governor is pleased to impose the following rate of Licence fees for undenatured spirit, Bhang and self generated alcoholic medicine under rule 3(2) of Uttar Pradesh Licences for the Possession of undenatured spirit, Bhang and other excisable articles for Medicinal and Toilet Preparations Purposes Rules, 2019.

SCHEDULE

**Rate of Licence Fees**

|  |  |
|--|--|
| 1. Alcoholic Medicine                    | Rs. 3 per Litre alcohol (AL)                         |
| 2. For Indian Hemp Medicine              | Rs. 10 per Kg. of Indian Hemp                        |
| 3. For self generated Alcoholic Medicine | Rs. 5 per Litre of self generated Alcoholic Medicine |

By order,  
SANJAY R. BHOOSREDDY,  
*Apar Mukhya Sachiv.*